रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19012026-269420
CG-DL-W-19012026-269420

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, जनवरी 11—जनवरी 17, 2026, शनिवार/पौष 21—पौष 27, 1947
No. 1] NEW DELHI, JANUARY 11—JANUARY 17, 2026, SATURDAY/ PAUSHA 21—PAUSHA 27, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

[गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

का.नि.आ. 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), भंडार अधीक्षक पद, भर्ती नियम 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) में (वरिष्ठ भंडार अधीक्षक) के पद पर भर्ती की पद्धत्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), वरिष्ठ भंडार अधीक्षक (समूह "ख "), पद भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(5) **शिथिल करने कि शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(6) **व्यावृति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**
(1)	(2)	(3)	(4)
वरिष्ठ भंडार अधीक्षक	06* (2025)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रू)।

चयन या अचयन पद।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।**
(5)	(6)	(7)
चयन ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे अधीक्षक (भंडार) (तत्कालीन वरिष्ठ भंडारपाल) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रू 25400-81100) में सुसंगत क्षेत्र में दस वर्ष ग्रेड में नियमित सेवा की है और जिन्होंने दो से चार सप्ताह का नौकरी पर रहते हुए प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अहर्क या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब, जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा, अपेक्षित अहर्क या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों : या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रू 29200-92300) में या इसके समतुल्य नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात: (i) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री। (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों पब्लिक सेक्टर उपक्रम या

			मान्यताप्राप्त विश्वविधालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं या मान्यताप्राप्त बैंकों के भंडार या समुत्थान में भंडारण के रखरखाव और लेखें रखने में एक वर्ष का अनुभव; या (ii) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक । (ख)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भांडागार प्रबंधन या क्रय या संभार या सार्वजनिक उपापन में डिप्लोमा । (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठन या स्वायत निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या मान्यताप्राप्त संस्था या मान्यताप्राप्त बैंको के भंडार या समुत्थान में भंडारण के रखरखाव और लेखें रखने में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाâय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह “ख “ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1- अपर महानिदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -अध्यक्ष । 2- उप महानिदेशक या निदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) - सदस्य । 3- संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

4-संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (कार्मिक), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) - सदस्य । समूह "ख " विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1- अपर महानिदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -अध्यक्ष । 2- उप महानिदेशक या निदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) - सदस्य । 3- संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) - सदस्य । 4-संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (कार्मिक), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) - सदस्य ।	

[फा. सं. 2348/आर आर / वरिष्ठ भंडार अधीक्षक/डीक्यूए(एन)/ /डी (क्यू ए) /2025)]

ऋतु शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

[DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE (NAVAL)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2025

S.R.O. 1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance(Naval), Store Superintendent post, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Store Superintendent, in the Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance(Naval), Ministry of Defence, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Senior Store Superintendent (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard**.**

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Store Superintendent.	6* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**
(10)	(11)
By promotion, failing which by deputation.	Promotion: From Superintendent (Store) (erstwhile Senior Store Keeper) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and have successfully completed on job training of two to four weeks in relevant area. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six year service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and

	(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i)(A) Masters degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or recognised institute; and (B) One-year experience in handling Store and keeping Accounts in a Store or a concern of Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomus body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised institution or recognised Banks or; (ii) (A) Bachelors degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or recognised institute; and (B) Diploma in material management or warehousing management or purchasing or logistics or public procurement from a recognised University or recognised institute; and (c) Two years experience in handling Store and keeping Accounts in a Store or a concern of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognized university or recognised institution or recognised Banks. **Note1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director General of Quality Assurance (Naval) -Chairman 2. Deputy Director General or Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) - Member; 3. Joint Director or Dy Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) - Member; 4. Joint Director or Dy Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) - Member. Group 'B' Departmental Confirmations Committee (for confirmation) consisting of:- 1. Additional Director General of Quality Assurance (Naval) Chairman; 2. Deputy Director General or Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) - Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

3. Joint Director or Dy Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) - Member; 4. Joint Director or Dy Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) - Member.	

[F. No. 2348/RR/Senior Store Supdt/DQAN/ /D(QA)/2025]

RITU SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2025

का.नि.आ. 2.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) और (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम और श्री योगेंद्र चंदोलिया, लोक सभा के सांसदों की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इसके लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा.नि.आ. 76-ई दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में "धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (i) के तहत" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि (14) और (15) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

"(14) डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम, सांसद (लोक सभा) 5 दिसंबर, 2025 से एक वर्ष के लिए निर्वाचित.............सदस्य।"

"(15) श्री योगेंद्र चंदोलिया, सांसद (लोक सभा) 5 दिसंबर, 2025 से एक वर्ष के लिए निर्वाचित .... सदस्य।"

[फा. सं. 3(11)/2012/रक्षा (जी एस-6)]

सुनीत कुमार द्विवेदी, अवर सचिव

पाद टिप्पणी: यह अधिसूचना सा.नि.आ. 76 (ई) दिनांक 10.10.1983 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया:-

1. सा.नि.आ. सं. 290 दिनांक 18.08.1986
2. सा.नि.आ. सं. 154 दिनांक 06.04.1987
3. सा.नि.आ. सं. 298 दिनांक 25.09.1987
4. सा.नि.आ. सं. 110 दिनांक 28.05.1990
5. सा.नि.आ. सं. 140 दिनांक 28.06.1990
6. सा.नि.आ. सं. 224 दिनांक 30.09.1991
7. सा.नि.आ. सं. 225 दिनांक 30.09.1991
8. सा.नि.आ. सं. 183 दिनांक 22.06.1992
9. सा.नि.आ. सं. 184 दिनांक 20.05.1993

10. सा.नि.आ. सं. 071 दिनांक 08.06.1993

11. सा.नि.आ. सं. 099 दिनांक 19.04.1995

12. सा.नि.आ. सं. 162 दिनांक 12.09.1996

13. सा.नि.आ. सं. 092 दिनांक 19.06.1998

14. सा.नि.आ. सं. 125 दिनांक 19.05.2000

15. सा.नि.आ. सं. 162 दिनांक 30.08.2001

16. सा.नि.आ. सं. 182 दिनांक 27.08.2002

17. सा.नि.आ. सं. 119 दिनांक 27.08.2003

18. सा.नि.आ. सं. 08 दिनांक 11.01.2005

19. सा.नि.आ. सं. 42 दिनांक 20.03.2006

20. सा.नि.आ. सं. 58 दिनांक 11.09.2007

21. सा.नि.आ. सं. 01 दिनांक 02.01.2009

22. सा.नि.आ. सं. 21 दिनांक 18.08.2009

23. सा.नि.आ. सं. 36 दिनांक 09.12.2009

24. सा.नि.आ. सं. 40 दिनांक 08.09.2010

25. सा.नि.आ. सं. 65 दिनांक 29.08.2011

26. सा.नि.आ. सं. 84 दिनांक 24.09.2012

27. सा.नि.आ. सं. 8 दिनांक 05.01.2015

28. सा.नि.आ. सं. 1 दिनांक 31.12.2015

29. सा.नि.आ. सं. 25 दिनांक 13.04.2017

30. सा.नि.आ. सं. 31 दिनांक 16.04.2018

31. सा.नि.आ. सं. 78 दिनांक 29.08.2019

32. सा.नि.आ. सं. 35 दिनांक 23.05.2022

33. सा.नि.आ. सं. 54 दिनांक 18.08.2023

34. सा.नि.आ. सं. 55 दिनांक 18.09.2024

35. सा.नि.आ. सं. 4 दिनांक 24.01.2025

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2025

S.R.O. 2.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), Central Government hereby notifies appointment of Dr. Angomcha Bimol Akoijam and Shri Yogender Chandolia, Members of Parliament (Lok Sabha), as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends notification of Government of India in Ministry of Defence No. SRO 76-E dated the 10th October, 1983, as amended from time to time as follows, namely:-

In the said notification, under the heading
"under clause (i) sub-section (1) of section 12"
For the entries (14) and (15), the following entries shall be substituted, namely:-

(14) Dr. Angomcha Bimol Akoijam, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from the 5th December, 2025 for one year .... Member

(15) Shri Yogender Chandolia, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from the 5th December, 2025 for one year .... Member

[F. No. 3(11)/2012/D(GS-VI)]

SUNEET KUMAR DWIVEDI, Under Secy.

Foot Note : The notification was published vide SRO No. 76(E) dated the 10th October, 1983 and subsequently amended vide:-

1. SRO No. 290 dt. 18.08.1986
2. SRO No. 154 dt. 06.04.1987
3. SRO No. 298 dt. 25.09.1987
4. SRO No. 110 dt. 28.05.1990
5. SRO No. 140 dt. 28.06.1990
6. SRO No. 224 dt. 30.09.1991
7. SRO No. 225 dt. 30.09.1991
8. SRO No. 183 dt. 22.06.1992
9. SRO No. 184 dt. 20.05.1993
10. SRO No. 071 dt. 08.06.1993
11. SRO No. 099 dt. 19.04.1995
12. SRO No. 162 dt. 12.09.1996
13. SRO No. 092 dt. 19.06.1998
14. SRO No. 125 dt. 19.05.2000
15. SRO No. 162 dt. 30.08.2001
16. SRO No. 182 dt. 27.08.2002
17. SRO No. 119 dt. 27.08.2003
18. SRO No. 08 dt. 11.01.2005
19. SRO No. 42 dt. 20.03.2006
20. SRO No. 58 dt. 11.09.2007
21. SRO No. 01 dt. 02.01.2009
22. SRO No. 21 dt. 18.08.2009
23. SRO No. 36 dt. 09.12.2009
24. SRO No. 40 dt. 08.09.2010
25. SRO No. 65 dt. 29.08.2011
26. SRO No. 84 dt. 24.09.2012

27. SRO No. 8 dt. 05.01.2015
28. SRO No. 1 dt. 31.12.2015
29. SRO No. 25 dt. 13.04.2017
30. SRO No. 31 dt. 16.04.2018
31. SRO No. 78 dt. 29.08.2019
32. SRO No. 35 dt. 23.05.2022
33. SRO No. 54 dt. 18.08.2023
34. SRO No. 55 dt. 18.09.2024
35. SRO No. 4 dt. 24.01.2025

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

का.नि.आ. 3.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, **रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है** :-

क्र.सं.	**कार्यालय का नाम/पता, जिसे राजभाषा नियम, 1976 के उप-नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना है**
1.	लेखा अधिकारी ,जी.ई .आवडी ,चेन्नई - 600055
2.	ए.ओ .जी.ई., एस.टी.एम .और ए.ए.ओ .बी.एस.ओ .एस.टी.एम .
3.	लेखा अधिकारी, स.दु.अभि).स्व (.अनु एवं वि., कोच्चि – 682021
4.	सहायक स्थानीय लेखा-परीक्षा कार्यालय) सेना(, जिला अस्पताल ,कण्णुर -670017
5.	ले.अ .ए.जी.ई).आई (नौसेना ,फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज ,चेन्नई – 600009
6.	लेखा अधिकारी ,दुर्ग अभियंता) वायु सेना (कार्यालय ,पुलायनारकोट्टा ,थुरुविक्कल पो.ओ तिरुवनंतपुरम – 695011
7.	लेखा अधिकारी ,दुर्ग अभियंता ,चेन्नई

[फा. सं. 1(3)/2024-रक्षा (रा.भा.1)]

मनीष त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

S.R.O. 3.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Controller General of Defence Accounts, Ministry of Defence, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

1.	Accounts Office, GE, Avadi, Chennai-600055
2.	AO GE STM & AAO BSM STM
3.	AO AGE (I) R&D, Kochi-682021
4.	ALAO (ARMY) Distt. Hospital, Kannur-17
5.	AO AGE (I) NAVY, Fort St. George, Chennai-600009
6.	Accounts Office, GE (AF), Pulayanarkotta, Thuruvikkal P.O, Thiruvananthapuram-695011
7.	Accounts Officer, Garrison Engineer, Chennai

[F. No. 1(3)/2024-D(OL-1)]

MANISH TRIPATHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.19 11:35:56 +05'30'